रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
Dt. 5/11/90
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 622] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 1989/आश्विन 11, 1911
No. 622] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 1989/ASVINA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1989

का.आ. 779(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त आयोग (वेतन और भत्ते) नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त आयोग (वेतन और भत्ते) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्त आयोग (वेतन और भत्ते) नियम, 1951 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है और जिसे आयोग के सदस्य के रूप में पूर्णकालिक सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है निम्नलिखित को प्राप्त करने का हकदार होगा :—

(क) 8000 रु. प्रति मास वेतन, जिसमें से पेंशन और किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के पेंशनिक समतुल्य जिसमें उसके द्वारा प्राप्त किए गए उपदान पेंशन समतुल्य नहीं है कम कर दिए जाएंगे;

(ख) 6,700 रु. प्रति मास वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय दरों पर महंगाई भत्ता,

(ग) आयोग के मुख्यालय के स्थान पर उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय प्रतिकारात्मक (नगर) भत्ता;

(घ) उसके पुनर्नियोजन के समय विद्यमान दरों पर उसकी हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता। वह उस वर्ग की, जिसके लिए उच्चतम वर्ग का सरकारी कर्मचारी पात्र है, केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अतिथि गृह/निरीक्षण बंगला में अस्थाई सरकारी वास सुविधा का भी बाहरी स्थानों पर सामान्य किराया संदत्त करने पर हकदार होगा।

(ङ) आयोग के मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के लिए अपने सामान्य निवास से वहां तक की गई यात्रा की बाबत 5,100 रु. और उससे अधिक प्रतिमास वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ता,

(च) आयोग के सदस्य के रूप में पदत्याग करने पर आयोग के मुख्यालय के स्थान से अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने की बाबत 5100 रु. और उससे अधिक प्रति-मास वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ता।